

डिक्री व मुकदमा इब्तदाइ

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

जज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

सीमा पुत्री ओम प्रकाश दर्जी टेलर निवासी शाहपुरा हाल उदयपुर

— वादिया

बनाम

- 1-3 विजय कुमार, विशाल कुमार, सुनील कुमार पिता ओम प्रकाश दर्जी टेलर निवासी बारहठ की जी की हवेली के सामने शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात

मुकदमा नम्बर 122/2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादिया अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा